

भारत में समावेशी शिक्षा एवं दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा: एक परिदृश्य

Sandeep Kumar

Beauty Kumari

Assistant Professor, Department of
Special Education

Department of Political
Science

Shri P.K. Mehta College of Special
Education, Palanpur, Gujarat

Ramjas College, University of
Delhi

sandeepkumar0510@gmail.com

सार (Abstract)

समावेशी शिक्षा वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसका मूल आधार समानता, सामाजिक न्याय तथा प्रत्येक बच्चे के शिक्षा के अधिकार की सुनिश्चितता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में भारत में समावेशी शिक्षा के संदर्भ में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति, प्रमुख नीतियों, कानूनी प्रावधानों, व्यावहारिक चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में समावेशी शिक्षा की अवधारणा, दृष्टिबाधिता की प्रकृति, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act, 2016), भारतीय शिक्षा प्रणाली के संवैधानिक प्रावधान तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध शैक्षिक अवसरों का विस्तृत विवेचन किया गया है।

शोध-पत्र यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अनेक नीतिगत एवं विधिक प्रयास किए गए हैं, तथापि विद्यालयों में सुलभ अधोसंरचना, प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों, ब्रेल एवं डिजिटल शिक्षण सामग्री, सहायक तकनीकों तथा समावेशी शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता अभी भी पर्याप्त नहीं है। सामाजिक जागरूकता की कमी, संसाधनों का असमान वितरण तथा प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में प्रमुख बाधाएँ हैं। अध्ययन में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि सहायक तकनीकों, शिक्षक प्रशिक्षण, सुलभ अधिगम संसाधनों, सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण तथा प्रभावी नीतिगत क्रियान्वयन के

माध्यम से दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा को अधिक समावेशी एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। यह शोध समावेशी शिक्षा की दिशा में वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षकों एवं विशेष शिक्षकों के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करता है तथा एक ऐसे शिक्षा तंत्र की आवश्यकता पर बल देता है, जिसमें प्रत्येक दृष्टि बाधित विद्यार्थी समान अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक जीवन जी सके।

मुख्य शब्द:

समावेशी शिक्षा, दृष्टि बाधिता, RPWD अधिनियम 2016, सहायक तकनीक, भारतीय शिक्षा प्रणाली।

प्रस्तावना (Introduction)

वर्तमान समय में शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जित करने का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, समान अवसर, आत्मनिर्भरता और मानव विकास का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों की शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। भारत जैसे बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और विविध सामाजिक संरचना वाले देश में यह आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं और सीखने की गति का सम्मान करे। इसी सोच ने समावेशी शिक्षा की अवधारणा को शिक्षा प्रणाली के केंद्र में स्थापित किया है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यालयों में सभी बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि ऐसा शिक्षण वातावरण विकसित करना है जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी बिना किसी भेदभाव, पूर्वाग्रह या बहिष्करण के समान अवसरों के साथ सीख सके, अपनी प्रतिभा का विकास कर सके तथा समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में विकसित हो सके।

दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के संदर्भ में समावेशी शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि दृष्टि मानव जीवन में सूचना प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम है। दृष्टि संबंधी कठिनाइयों के कारण विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री तक पहुँच, कक्षा में सहभागिता, स्वतंत्र गतिशीलता, प्रयोगात्मक कार्यों तथा मूल्यांकन प्रक्रियाओं में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि शिक्षा व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित न हो तो उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है और वे अपनी वास्तविक योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसलिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यालय में प्रवेश दिलाना नहीं, बल्कि प्रत्येक दृष्टि बाधित विद्यार्थी को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन, सहायक तकनीक, प्रशिक्षित शिक्षक, सुलभ अधिगम सामग्री तथा सकारात्मक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है।

भारत में समावेशी शिक्षा की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले हैं। शिक्षा नीतियों, कानूनी प्रावधानों, तकनीकी विकास तथा सामाजिक जागरूकता के कारण दिव्यांग विद्यार्थियों, विशेष रूप से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों, को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के प्रयास तेज हुए हैं। डिजिटल तकनीकों के विकास ने ब्रेल, ऑडियो आधारित शिक्षण सामग्री, स्क्रीन रीडर, ई-पुस्तकों तथा ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाया है, जिससे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा पहले की अपेक्षा अधिक सुलभ हुई है। इसके साथ ही शिक्षकों की भूमिका भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि उन्हें विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए प्रभावी, लचीली और छात्र-केंद्रित शिक्षण रणनीतियाँ अपनानी होती हैं।

फिर भी, व्यावहारिक स्तर पर अनेक चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं। अनेक विद्यालयों में सुलभ अधोसंरचना, पर्याप्त सहायक उपकरण, प्रशिक्षित विशेष शिक्षक, अनुकूलित शिक्षण सामग्री तथा समावेशी दृष्टिकोण का अभाव देखने को मिलता है। कई बार सामाजिक पूर्वाग्रह, जागरूकता की कमी तथा संसाधनों का असमान वितरण भी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। परिणामस्वरूप, अनेक विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के बावजूद गुणवत्तापूर्ण अधिगम अनुभव से वंचित रह जाते हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा की सफलता केवल नीतियाँ बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, संस्थागत सहयोग, शिक्षक प्रशिक्षण, परिवार की सहभागिता तथा समाज की सकारात्मक सोच पर भी समान रूप से निर्भर करती है।

इस संदर्भ में भारत में समावेशी शिक्षा एवं दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल शैक्षिक व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, मानवाधिकार, गरिमा और समावेशी विकास से भी जुड़ा हुआ है। वर्तमान परिदृश्य का समग्र विश्लेषण यह समझने में सहायता करता है कि उपलब्ध अवसरों और संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए तथा भविष्य में ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित की जाए जिसमें प्रत्येक दृष्टि बाधित विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करते हुए आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ समाज के विकास में सक्रिय योगदान दे सके।

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चों को, चाहे वे सामान्य हों या किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक अथवा अन्य किसी भिन्नता से संबंधित हों, समान विद्यालय, समान कक्षा तथा समान शैक्षिक वातावरण में उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य किसी भी बच्चे को उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी स्थिति के आधार पर शिक्षा से वंचित न होने देना है। यह केवल दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश

दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था—पाठ्यचर्या, शिक्षण-पद्धति, मूल्यांकन, अधिगम सामग्री, आधारभूत संरचना तथा विद्यालय के वातावरण—को इस प्रकार विकसित करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके और समान रूप से भागीदारी कर सके।

समावेशी शिक्षा समानता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित अवधारणा है। इसका विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है तथा उसकी सीखने की गति, रुचियाँ और आवश्यकताएँ भिन्न हो सकती हैं। इसलिए शिक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, न कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्रणाली के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाए। इस व्यवस्था में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे विविध शिक्षण रणनीतियों, सहायक तकनीकों, उपयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के संदर्भ में समावेशी शिक्षा का विशेष महत्व है। उन्हें ब्रेल, ऑडियो पुस्तकें, स्क्रीन रीडर, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्के, आवर्धक उपकरण, स्पर्शनीय शिक्षण सामग्री तथा आवश्यकतानुसार लेखक (Scribe) जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे वे सामान्य विद्यार्थियों के साथ समान अवसर प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त विद्यालय का भौतिक वातावरण भी सुरक्षित, सुलभ तथा बाधारहित होना चाहिए ताकि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से विद्यालय की सभी गतिविधियों में भाग ले सकें।

भारत में समावेशी शिक्षा को संवैधानिक एवं कानूनी समर्थन प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 21A प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act, 2016), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा समग्र शिक्षा अभियान समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख प्रावधान हैं। इन नीतियों का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सहायक उपकरण, प्रशिक्षित शिक्षक तथा आवश्यक शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

अंततः, समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। यह भेदभाव, असमानता और बहिष्करण को समाप्त कर समानता, सहभागिता, आत्मसम्मान और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। एक प्रभावी समावेशी शिक्षा प्रणाली ऐसे समाज के निर्माण में सहायक होती है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के आधार पर आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो तथा कोई भी बच्चा अपनी किसी भी भिन्नता के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।

दृष्टि बाधिता (Visual Impairment): एक वर्णनात्मक परिभाषा

दृष्टि बाधिता (Visual Impairment) एक ऐसी संवेदी दिव्यांगता है जिसमें किसी व्यक्ति की देखने की क्षमता सामान्य स्तर से कम हो जाती है तथा चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस, दवा अथवा सामान्य चिकित्सा उपचार के बाद भी वह अपनी दृष्टि का पूर्ण एवं प्रभावी उपयोग नहीं कर पाता। यह स्थिति जन्मजात (Congenital) भी हो सकती है तथा दुर्घटना, बीमारी, संक्रमण, पोषण की कमी, बढ़ती आयु या अन्य चिकित्सीय कारणों से बाद में भी उत्पन्न हो सकती है। दृष्टि बाधिता का प्रभाव केवल देखने की क्षमता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक विकास पर भी व्यापक प्रभाव डालता है।

दृष्टि बाधिता के अंतर्गत मुख्य रूप से दो श्रेणियाँ सम्मिलित की जाती हैं—पूर्ण दृष्टि बाधिता (Blindness) तथा अल्प दृष्टि (Low Vision)। पूर्ण दृष्टि बाधिता में व्यक्ति देखने की क्षमता से लगभग पूर्णतः वंचित होता है तथा उसे दैनिक जीवन एवं शिक्षा के लिए ब्रेल, स्पर्श, श्रवण तथा अन्य वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी ओर, अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति में कुछ अवशिष्ट दृष्टि (Residual Vision) होती है, जिसका उपयोग उपयुक्त प्रकाश, आवर्धक उपकरणों, बड़े अक्षरों की पुस्तकों तथा सहायक तकनीकों की सहायता से किया जा सकता है। इस प्रकार दृष्टिबाधिता एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें दृष्टि हानि की विभिन्न अवस्थाएँ और स्तर सम्मिलित होते हैं।

शैक्षिक दृष्टि से दृष्टि बाधिता का अर्थ केवल देखने में कठिनाई नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति है जिसमें विद्यार्थी को अधिगम की प्रक्रिया में विशेष शिक्षण पद्धतियों, अनुकूलित पाठ्य सामग्री, सहायक उपकरणों तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि, ऑडियो पुस्तकें, स्पर्शनीय चित्र एवं मानचित्र, स्क्रीन रीडर, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, स्मार्ट केन तथा अन्य सहायक तकनीकें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती हैं। इन साधनों के माध्यम से वे सामान्य विद्यार्थियों की भाँति शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सकते हैं।

दृष्टि बाधिता का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर समान नहीं होता। कुछ व्यक्तियों को केवल दूर या पास की वस्तुएँ देखने में कठिनाई होती है, जबकि कुछ व्यक्तियों को प्रकाश, रंग, आकृति या दृश्य क्षेत्र (Visual Field) से संबंधित समस्याएँ होती हैं। इसलिए प्रत्येक दृष्टि बाधित व्यक्ति की शैक्षिक एवं पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं का व्यक्तिगत मूल्यांकन आवश्यक होता है। उपयुक्त प्रशिक्षण, समय पर पहचान, चिकित्सकीय परामर्श तथा सहायक सेवाओं के माध्यम से दृष्टिबाधित व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीने की क्षमता विकसित कर सकता है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act, 2016):

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) भारत सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं अधिकार-आधारित कानून है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर, समान अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन तथा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी अभिसमय (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities – UNCRPD) के सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है। भारत ने वर्ष 2007 में इस अभिसमय का अनुमोदन किया था, जिसके पश्चात 1995 के पुराने कानून को अधिक व्यापक एवं अधिकार-आधारित स्वरूप प्रदान करते हुए 2016 में यह नया अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम 27 दिसंबर, 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 19 अप्रैल, 2017 को एक अधिनियम के रूप में लागू हुआ। यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके समग्र विकास के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें दिव्यांगता की श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। इनमें दृष्टि बाधिता (Blindness), अल्प दृष्टि (Low Vision), श्रवण बाधिता, वाक एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, मानसिक रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, एसिड अटैक पीड़ित तथा अन्य दिव्यांगताएँ सम्मिलित हैं। समय-समय पर केंद्र सरकार नई श्रेणियों को भी अधिसूचित कर सकती है।

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना तथा उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, परिवहन, सूचना एवं संचार, सार्वजनिक भवनों तथा अन्य सभी सार्वजनिक सेवाओं तक समान और सुलभ पहुँच उपलब्ध कराना है। यह कानून प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति के सम्मान, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक समावेशन पर विशेष बल देता है। अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव करना दंडनीय अपराध है।

शिक्षा के क्षेत्र में यह अधिनियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 16 और 17 समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) को बढ़ावा देती हैं तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी को सामान्य विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को सुलभ भवन, उपयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री, ब्रेल पुस्तकें, बड़े अक्षरों की पुस्तकें, सहायक तकनीक, स्क्रीन रीडर,

लेखक (Scribe), परीक्षा में आवश्यक सुविधाएँ तथा प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा गया है। इसका उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना और उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है।

रोजगार के क्षेत्र में भी इस अधिनियम ने महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधीन सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की सीमा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गई है। साथ ही, सरकारी और निजी संस्थानों को कार्यस्थल पर उचित सुविधाएँ (Reasonable Accommodation) उपलब्ध कराने तथा दिव्यांग कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अधिनियम सार्वजनिक भवनों, परिवहन सेवाओं, सूचना एवं संचार प्रणाली तथा डिजिटल सेवाओं को सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने पर भी विशेष बल देता है।

इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र एवं राज्य स्तर पर मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner) तथा राज्य आयुक्त (State Commissioner) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, शिकायतों के निवारण तथा अधिनियम के पालन की निगरानी करते हैं। अधिनियम के उल्लंघन या दिव्यांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव की स्थिति में दंड एवं कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।

अतः, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि समानता, गरिमा, सामाजिक न्याय और समावेशन की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीवन जीने, शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार पाने तथा राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। विशेष रूप से दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए यह अधिनियम समावेशी शिक्षा, सहायक तकनीकों, सुलभ वातावरण और समान अवसरों को सुनिश्चित करने वाला एक सशक्त अधिकार-आधारित कानून है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में संवैधानिक प्रावधान:

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा को इन सभी अधिकारों की आधारशिला माना गया है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी निभाने योग्य बनता है। इसी कारण भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जिनका उद्देश्य सभी नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा

दिव्यांग व्यक्तियों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। समय-समय पर किए गए संवैधानिक संशोधनों तथा न्यायालयों के निर्णयों ने शिक्षा के अधिकार को और अधिक सुदृढ़ बनाया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, दिव्यांगता या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद समावेशी और समान शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है।

अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या अन्य आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है। साथ ही, यह राज्य को महिलाओं, बच्चों तथा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के हित में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसी संवैधानिक आधार पर छात्रवृत्तियाँ, आरक्षण, निःशुल्क शिक्षा तथा विशेष शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में शिक्षा को गरिमापूर्ण जीवन का अभिन्न अंग माना। इसके परिणामस्वरूप संविधान में 86वाँ संशोधन (2002) किया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है। इसी प्रावधान के आधार पर बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009) लागू किया गया।

अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करते हैं तथा उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं।

अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार शिक्षा, रोजगार तथा सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं छह वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश देता है। यह प्रावधान बच्चों के समग्र विकास तथा विद्यालयी शिक्षा की मजबूत नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। इसी संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर विभिन्न छात्रवृत्तियाँ, आवासीय विद्यालय, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शैक्षिक सहायता योजनाएँ संचालित की जाती हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में संविधान के समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act, 2016) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। इनके माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुलभ विद्यालय, सहायक उपकरण, प्रशिक्षित शिक्षक, ब्रेल एवं डिजिटल शिक्षण सामग्री तथा आवश्यक परीक्षा सुविधाएँ सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर प्राप्त हो सके।

अतः भारतीय शिक्षा प्रणाली के संवैधानिक प्रावधान शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समानता, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों की स्थापना का आधार मानते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या शारीरिक स्थिति कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दे सके।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में समावेशी शिक्षा की अवधारणा शिक्षा के लोकतंत्रीकरण तथा सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मूल उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह सामान्य हो अथवा किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित हो, समान अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के संदर्भ में समावेशी शिक्षा केवल विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुलभ अधिगम सामग्री, सहायक तकनीक, प्रशिक्षित शिक्षक, अनुकूल शिक्षण-पद्धति तथा बाधा रहित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने पर भी समान रूप से बल देती है।

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए संविधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 जैसे महत्वपूर्ण कानूनी एवं नीतिगत प्रावधान उपलब्ध हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा सहायक तकनीकों और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से शिक्षा अधिक सुलभ बनी है। फिर भी विद्यालयी स्तर पर प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की कमी, ब्रेल एवं सुलभ अध्ययन सामग्री की अनुपलब्धता, अपर्याप्त अधोसंरचना, सामाजिक जागरूकता का अभाव तथा नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयाँ आज भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक है कि समावेशी शिक्षा को केवल सरकारी नीति न मानकर सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक बनाया जाए, विद्यालयों को पूर्णतः सुलभ बनाया जाए, सहायक तकनीकों की उपलब्धता बढ़ाई जाए तथा अभिभावकों, शिक्षकों और समाज में समावेशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाए। साथ ही, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देकर दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन शिक्षण संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए। निष्कर्षतः, समावेशी शिक्षा तभी सफल होगी जब प्रत्येक दृष्टि बाधित विद्यार्थी को समान अवसर, सम्मान, आत्मनिर्भरता तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी और वह राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास में समान भागीदारी निभा सकेगा।

संदर्भ (References)

- Agrawal, J. C. (2019). Theory and principles of education. Vikas Publishing House.
- American Foundation for the Blind. (2020). Education of students with visual impairments. American Foundation for the Blind.
- Government of India. (2009). The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Ministry of Law and Justice.
- Government of India. (2016). The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Ministry of Social Justice and Empowerment.
- Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.
- Government of India. (2021). Samagra Shiksha: Framework for implementation. Ministry of Education.
- Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2022). Exceptional learners: An introduction to special education (15th ed.). Pearson.
- Heward, W. L. (2018). Exceptional children: An introduction to special education (11th ed.). Pearson.

Koenig, A. J., & Holbrook, M. C. (2000). Foundations of education for blind and visually impaired children and youth (2nd ed.). American Foundation for the Blind.

National Council of Educational Research and Training. (2005). National curriculum framework 2005. NCERT.

National Council of Educational Research and Training. (2006). Including children and youth with disabilities in education: A guide for practitioners. NCERT.

National Council of Educational Research and Training. (2023). National curriculum framework for school education (NCF-SE 2023). NCERT.

Rehabilitation Council of India. (2022). Norms and standards for teacher education programmes. RCI.

Singh, J. P. (2018). भारत में समावेशी शिक्षा: चुनौतियाँ और संभावनाएँ. भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका.

UNICEF. (2013). The state of the world's children 2013: Children with disabilities. UNICEF.

United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). United Nations.

UNESCO. (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs education. UNESCO.

UNESCO. (2020). Global education monitoring report 2020: Inclusion and education – All means all. UNESCO.

World Health Organization. (2019). World report on vision. World Health Organization.

Constitution of India. (2024). The Constitution of India (Latest ed.). Government of India.